# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
**पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,** आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या** – 251 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/267)
**पंजीयन दिनांक**– 02.08.2021
**निर्णय दिनांक**– 07.09.2021

1. श्री रतनलाल गोद पुत्र रामलाल जाट, निवासी करजाली, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

**बनाम**

1. श्री सुरेशचन्द्र पिता अमरचन्द्र जाट, निवासी करजाली, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री गेहरीलाल पिता अमरचन्द्र जाट, निवासी करजाली, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री किशनलाल पिता अमरचन्द्र जाट, निवासी करजाली, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
4. प्रेमी पुत्री अमरचन्द्र जाट, निवासी करजाली, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
5. गोपी पुत्री अमरचन्द्र जाट, निवासी करजाली, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
6. भूमिधारी, तहसीलदार, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री यासुब अली – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5
3. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण क्रमांक / भू.अ. / 2021 / 11 / 2020 निर्णय दिनांक 10.02.2021

<u>निर्णय</u>

दिनांक 07.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, कपासन के प्रकरण क्रमांक/भू. अ./2021/11/2020 निर्णय दिनांक 10.02.2021 के विरूद्ध दिनांक 02.08.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 जा. दी. एवं स्थगन आदेश पारित किये जाने के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी रतनलाल के गोद पिता रामलाल की मृत्यु दिनांक 29.06.2016 को हो चुकी है। मृतक रामलाल के कोई जाइन्दा आलाद नहीं है। इस कारण प्रार्थी को गोद रखा और प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा से खुश होकर स्वर्गीय रामलाल ने वसीयत नामा दिनांक 26.04.2016 को प्रार्थी रतनलाल के पक्ष में निष्पादित कर दिया, इस कारण वसीयत नामा के आधार पर प्रार्थी के नाम नामांतरण रद्दोबदल कराया जावे, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.02.2021 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपंजीकृत वसीयत दस्तावेंज की वैद्यता पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्न चिन्ह् लगाया गया है। 1. वसीयत दस्तावेज में प्रत्येक पृष्ठ पर कांट–छांट की गई है। 2. वसीयत ग्रहिता रतनलाल दत्तक पुत्र वक्ताराम अंकित है। 3. स्टाम्प कब व किसकें द्वारा जारी किया गया है स्पष्ट नहीं है। 4. वसीयत में अंकित दो गवाह के केवल नाम अंकित है पिता एवं पते का अंकन नहीं है। उपरोक्त तथ्यों पर मनन किया गया एवं बहस के दौरान यह तथ्य भी लाया गया कि उक्त वसीयत के संदर्भ में पुलिस में मामला दर्ज करया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत के संदेह को दूर किया जाना आवश्यक है। लेकिन वसीयत की वैद्यता कि*

*जांच का अधिकार इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वसीयत की वैद्यता कि जांच सक्षम न्यायालय से ही की जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। फिर भी यदि प्रार्थी तथा कथित वसीयत के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी में अपना अधिकार होना मानतें है तो इस संबंध में वह सक्षम न्यायालय से उचित निर्णय प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र रहेगें। न्यायहित में मृतक के व्यक्तिगत कानून के अनुसार उसके विधिक वारिसान की जांच कर नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का करजाली को निर्देशित किया जावें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल शर्मा उपस्थित व रेस्पाडेंट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री मुरलीधर पालीवाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 31.08.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दहराते हुए अपनी बहस में बताया कि कानूनन वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है वसीयत सादे कागज पर भी लिखी जा सकती है मृतक रामलाल द्वारा निष्पादित वसीयत नामा दिनांक 26.04.2016 को 100/— रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की गई है। उक्त दस्तावेज पर मृतक का फोटो लगाकर प्रमाणित किया हुआ है तथा उक्त वसीयत दो गवाह कालुराम एवं अशोक के समक्ष निष्पादित कर साक्षी के हस्ताक्षर है वसीयत मोतीलाल बाफना, नोटेरी पब्लिक भूपालसागर द्वारा प्रमाणित कर रखी है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज वसीयत नामा पूर्णतया वसीयत दस्तावेज होकर साक्ष्य ग्राह्य योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शुरू से ही एक तरफा मानस बनाकर प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, ग्राम पंचायत करजाली का प्रमाण पत्र दिनांक 18.06.2020 आदि दस्तावेजों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में विपरीत पक्ष के गवाहों के

बयान लिये गये परन्तु प्रार्थी पक्ष के गवाहों के बयान रेकार्ड पर नही लिये गये। इस संबंध में अपीलांट द्वारा दिनांक 13.10.2020 को आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दर्शाया है कि दस्तावेज को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, परन्तु पुलिस द्वारा जांच कर उक्त प्रकरण में अदम वकुवा झुंठा मानकर एफ. आर. प्रस्तुत कर दी गई है। मृतक रामलाल की जिन्दगी भर सेवा सुश्रुषा अपीलांट द्वारा की है। इस कारण उसके द्वारा एक मात्र व अंतिम वसीयत के आधार पर उनकी जायदाद का नामांतरण रद्दोबदल अपीलांट के पक्ष में किया जाना न्यायोचित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित होकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 5 के द्वारा अपील का जबाब प्रस्तुत किया तथा बहस के दौरान भी वर्णित किया कि वसीयत रामलाल द्वारा नहीं की गयी एवं वसीयत संदिग्ध है एवं खामियों के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज किया गया है। वसीयतनामा फर्जी है, उसमें जारी स्टाम्प क्रम संख्या, स्टाम्प विक्रेता का नाम पता, नोटेरी दिनांक स्टाम्प लिखित दिनांक, गवाहान के नाम पते आदि कई त्रुटिया है, जिसके लिए विपक्षी रेस्पोंडेण्ट द्वारा पुलिस थाना, कपासन में मुकदमा दर्ज करा रखा है। वसीयत की प्रमाणिकता हेतु जांच रिपोर्ट एवं मौका पर्चा रिपोर्ट गांव करजाली की तलब की गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकार एवं दस्तावेजों को देखकर ही निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा न तो असल वसीयत प्रस्तुत की गयी, न ही कोई गवाहान को प्रस्तुत किया एवं गवाह प्रस्तुत करने के लिए मौका देता रहा। वसीयत पूर्णतः फर्जी होने के कारण रेस्पोंडेण्ट द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवा रखी है। ग्राम करजाली ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.09.2020 को नामान्तकरण संख्या 1093 को बिना किसी कारण के वारीसान का नामान्तकरण खारिज कर दिया जो विधिसंवत् नहीं है। इसकी जानकारी विपक्षी रेस्पोंडेण्ट को तहसीलदार के निर्णय के बाद पेश किया गया पटवारी रिपोर्ट में पंचायत द्वारा खारिज होने से नामान्तकरण नहीं खोला गया, जिस

पर विपक्षी रेस्पोंडेण्ट ने सहायक कलक्टर, कपासन के सरपंच ग्राम पंचायत करजाली एवं तहसीलदार के खिलाफ अपील पेश की गयी जिसमें दिनांक 13.08.2020 को सभी तामील हो चुकी है। प्रार्थी एवं विपक्षी रेस्पोंडेण्ट के पिता अमरचंद के तीन बड़े भाई थे एवं मृतक रामलाल शामिल ही रहता था एवं रामलाल की विरासत से अमरचंद जी के सभी पुत्र, पुत्रियों, रामलाल जी की भूमि के उत्तराधिकारी है। अपीलाण्ट ने कभी भी असल वसीयत प्रस्तुत नहीं की। रामलाल की मृत्यु दिनांक 29.04.2016 को हुई एवं सभी वारीसान का कब्जा चलता आ रहा था परन्तु अपीलाण्ट ने विपक्षीगण को वसीयत का कोई जिक्र नहीं किया। वर्ष 2020 में वसीयत को लेकर विपक्षीकरण को कार्यवाही की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का आवेदन उचित रूप से खारिज किया गया है।

प्रकरण में बहस दिनांक 31.08.2021 को सुनने के बाद आदेश के एक दिवस पूर्व अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 06.09.2021 को लिखित बहस रेस्पोंडेण्ट को प्रतिलिपि दिये बिना प्रस्तुत की गयी जो विधिक नहीं है फिर भी हम उसमें उद्दृत तथ्यों को विवेचित करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन में यह वर्णित किया है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के गवाहान को तलब किये जाकर बयान लेखबद्ध किये जाने का आवेदन भी प्रस्तुत किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहान को तलब नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने जिरह भी नहीं की। वसीयतनामे का पंजीकृत होना कानून के अनुसार आवश्यक नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से बहस पूर्ण होने के बाद आदेश के बाद दिनांक 06.09.2021 को अपीलाण्ट द्वारा वसीयत के गवाहान अशोक एवं कालूराम के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा पुलिस में दर्ज एफ.आई.आर. की सूचना चाहने के आवेदन की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है तथा न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (19)2012 पेज 602 प्रस्तुत की है। हालांकि अपीलाण्ट द्वारा बहस के बाद आदेश के एक दिवस पूर्व प्रस्तुत उक्त समस्त अभिकथन एवं दस्तावेज पूर्णतया विधि के विरूद्ध है परन्तु न्यायहित में हम उन्हें सन्दर्भ एवं न्याय निर्णय तक पहुंचने के लिए विचारार्थ रखना चाहते हैं।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 6 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा दिनांक 10.02.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.02.2021 को हुआ है एवं यह अपील इस न्यायालय में 02.08.2021 को प्रस्तुत हुई है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन, जिसमें कोरोना महामारी एवं कार्यालय में नियमित कार्य नहीं होने के बाबत् आवेदन व शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं। अपील प्रस्तुत करने में करीब 4 माह का विलम्ब हुआ है जिसका दफा 5 मियाद अधिनियम का जबाब रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत कर कोरोना गाइडलाइन भी निर्णय के एक–डेढ़ माह बाद पेश की गयी है, का जबाब प्रस्तुत किया है परन्तु शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायहित में कोरोना महामारी एवं गुणावगुण पर निर्णय के दृष्टिकोण से अपीलाण्ट के दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन एवं अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर हम मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करना उचित समझते हैं।

अब हम प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन करना एवं अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट के कथनों, अभिकथनों के आधार पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि मृतक रामलाल के कोई पुत्र, पुत्री नहीं थे एवं उसके 3 भाई मोड़ीराम, उदा व अमरचंद थे, मोड़ीराम व उदा के भी कोई वारिस नहीं थे सिर्फ अमरचंद के 4 पुत्र व 2 पुत्रियां वारिस है। अर्थात् मृतक रामलाल के प्राकृतिक वारीसान में अमरचंद के 6 पुत्र–पुत्रियां वारिस रहती है। रामलाल की मृत्यु के प्रमाण–पत्र अनुसार उसकी मृत्यु दिनांक 29.06.2016 को हुई है। पत्रावली के रेकर्ड से यह सुस्पष्ट होता है कि संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 1093 दिनांक 07.09. 2020 को रामलाल की विरासत का नामान्तकरण स्वीकार किया गया था एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 38 अनुसार अपीलाण्ट रतनलाल के आवेदन के आधार पर उक्त नामान्तकरण को पंचायत ने ही

गलत बताते हुए कोरम दिनांक 07.09.2020 को प्रस्ताव संख्या 6 में उक्त नामान्तकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया। उक्त ग्राम पंचायत करजाली के अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 38 में प्रमाण–पत्र दिनांक 07.09.2020 से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 1093 दिनांक 07.09.2020 विरासत से नामान्तकरण तस्दीक कर दिया था परन्तु रतनलाल के आवेदन के आधार पर उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर दिया। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक स्थिति है कि ग्राम पंचायत द्वारा विरासत से नामान्तकरण तस्दीक करने के बाद पुनः अपने प्रस्ताव के आधार पर रतनलाल अपीलाण्ट की वसीयत के आधार पर अपने पूर्व नामान्तकरण को अपास्त कर दे। पंचायत द्वारा इस प्रकार का निर्णय किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। हमारे समक्ष पंचायत द्वारा उक्त विरासत नामान्तकरण संख्या 1093 दिनांक 07.09.2020 से संबंधित विवाद विचाराधीन नहीं है। हमारे समक्ष तो अपील इस तथ्य के आधार पर है कि अपीलाण्ट रतनलाल द्वारा तहसीलदार के यहां अपनी वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाये जाने का जो आवेदन प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय में रतनलाल द्वारा प्रस्तुत वसीयत एवं प्राकृतिक वारिसान के मध्य सबको सुनवाई के बाद तहसीलदार द्वारा जो निर्णय दिनांक 10.02.2021 को किया गया, उसकी अपील पेशशुदा है। तहसीलदार द्वारा जो निर्णय किया गया है, उसमें मुख्य रूप से यह वर्णित किया है कि वसीयत की वैद्यता की जांच सक्षम नयायालय से ही की जा सकती है। वसीयत के आधार पर यदि वह अपना अधिकार मानता है तो सक्षम न्यायालय से उचित निर्णय प्राप्त करें। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में न तो मूल अपंजीकृत वसीयत प्रस्तुत की है एवं उसके साक्षी गवाहान को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब मूल वसीयत वं उसके साक्ष्य ही उपस्थित नहीं है तो अधीनस्थ न्यायालय को अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णय किया जाना संभव ही नहीं था। दौराने बहस न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट से जब वसीयत साक्ष्य के गवाहों के बारे में जानकारी की गयी एवं यह कहा गया कि क्या दौराने अपील भी अपंजीकृत वसीयत को प्रमाणित करने के लिए आपने

अपीलीय न्यायालय में साक्षियों के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं तो उनके द्वारा मना किया गया एवं बहस के बाद आदेश दिनांक के एक दिवस पूर्व 06.09.2021 को साक्षियों के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्राकृतिक विरासत को ठोस व उचित आधारों पर ही रोका जाना चाहिये। प्रकरण में यह और महत्वपूर्ण है कि तहसीलदार के यहां अथवा अपील के दौरान अपीलाण्ट द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी छिपाया गया है कि पूर्व में मृतक रामलाल की प्राकृतिक विरासत से नामान्तकरण खुल चुका था जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। इस प्रकरण में वसीयत अपंजीकृत है तथा देखने रेकर्ड से यह सुस्पष्ट होता है कि प्राकृतिक वारिसान के नाम नामानतकरण पूर्व से ही दर्ज हो चुका था एवं ग्राम पंचायत द्वारा विरासत के आधार पर ही खोले गये नामान्तकरण को निरस्त करने का निर्णय क्यों लिया, इस बाबत् सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन भी होना बताने से हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते है। हम इस स्पष्ट मान्यता के हैं कि अब यह विधि स्थापित हो चुकी है कि अपंजीकृत वसीयत के संबंध में प्राकृतिक विरासत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है एवं अपंजीकृत वसीयत के आधार पर सक्षम वाद से ही कोई व्यक्ति अपने हक, अधिकार तय करवा सकता है। इस प्रकरण में वसीयत के साक्षियों एवं वसीयत की वैद्यता का निर्धारण नियमित वाद में सुनवाई के आधार पर ही किये जाने का तहसीलदार द्वारा जो निर्णय किया गया है, उसे हम स्थापित विधि के अनुसार उचित पाते हैं। नामान्तकरण प्रक्रिया में प्राकृतिक विरासत को ही मान्यता दी जानी चाहिये जो स्थापित विधि है। यदि अपंजीकृत वसीयत है तो उसके आधार पर नियमित वाद से ही हक, अधिकार तय हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में तो अपंजीकृत वसीयत को प्रमाणित करने के लिए समुचित प्रयास भी नहीं किये गये। अपीलाण्ट द्वारा जो न्यायिक नजीर प्रस्तुत की गयी है, उसमें वसीयत का प्रोबेट लिये जाने के न्यायिक सिद्धान्त का वर्णन किया गया है, जिससे हम सहमत है परन्तु वसीयत की प्रमाणिकता एवं वैद्यता का नियमित वाद से ही हक, अधिकारों की घोषणा की जा सकती है, तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी नजीर इस प्रकरण

पर चस्पा नहीं होती। प्रकरण में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के आवेदन पर किये गये निर्णय दिनांक 10.02.2021 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते क्योंकि वसीयत अपंजीकृत है एवं उसका प्रमाणन नियमित वाद में ही किया जा सकता है। नामानतकरण पूर्व के विरासत के आधार पर किये गये पूर्व निर्णय के स्थान पर नामान्तकरण अपंजीकृत वसीयत को आधार बनाकर वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार नामान्तकरण एवं उसकी अपील में किया जाना कदापि उपादेय नहीं होगा। अपीलाण्ट चाहे तो इस हेतु नियमित वाद प्रस्तुत कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं होने से हम अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज करते हैं।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर